संख्या- 2712/41- 2022-143(सा0)2022 टीसी0

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक, पर्यटन
उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग

लखनऊः दिनाँक 22अगस्त, 2022

विषयः- उत्तर प्रदेश इको-टूरिज्म डेवलपमेन्ट बोर्ड का गठन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में अपने पत्रांक-2859/इको-टूरिज्म/2022 दिनांक 21-07-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश में पारिस्थितिकी पर्यटन (ECO TOURISM) के समन्वेषण तथा पारिस्थितिकी पर्यटन क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु पर्यटन विभाग, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, आयुष विभाग, ग्राम्य विकास विभाग,सिंचाई विभाग, नगर विकास विभाग, कृषि विभाग, उद्यान विभाग, खेल विभाग, परिवहन विभाग एवं अन्य सम्बन्धित विभागों के साथ समन्वय करते हुए उत्तर प्रदेश इको-टूरिज्म डेवलपमेन्ट बोर्ड का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त बोर्ड द्वारा मुख्य रूप से निम्नांकित प्राथमिकताओं /लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य किया जायेगा :-

(1) उत्तर प्रदेश में इको-पर्यटन विकास के दृष्टिकोण से लगभग 16,582 वर्ग किमी0 के वन क्षेत्र के साथ अनेक अतिसुन्दर परिदृश्य, वन-विस्तार, बहती नदियों और लुभावने सुन्दर झरनों और बड़ी संख्या में लुप्तप्राय पक्षियों और जानवरों की उपलब्धता है। राज्य में 26 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं जिनमें से 12 पक्षी विहार हैं। इसके अलावा राज्य 09 इको-टूरिज्म सर्किट (पश्चिमी वन्यजीव सर्किट, बृजभूमि वन्यजीव/वेटलैण्ड सर्किट, पूर्वी वन्यजीव सर्किट, टाइगर सर्किट, बुन्देलखण्ड सर्किट, विन्ध्य वन सर्किट, गंगा बेसिन/अर्ध गंगा, पश्चिमी पक्षी विज्ञान/आर्द्रभूमि सर्किट तथा सेण्ट्रल आर्निथोलॉजी/वेटलैण्ड सर्किट)से आच्छादित हैं। उक्त के अतिरिक्त पर्यटन के विकास हेतु सलखान फॉसिल पार्क सोनभद्र, मुक्खा वॉटर फाल सोनभद्र, राजदरी और देवदरी वॉटर फाल चन्दौली, जार्गो बॉध चुनार तथा सुरहाताल बलिया आदि तथा 10 रामसर साइट्स (बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य, हैदरपुर वेटलैंड, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती आगरा पक्षी अभ्यारण्य, समन पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, सरसाई नवर झील, सुर सरोवर, ऊपरी गंगा नदी) का राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों के मध्य प्रचार-प्रसार किया जाना एवं पर्यटकों हेतु मूलभूत जन सुविधाओं का निर्माण एवं विकास किया जाना आवश्यक है। अतएव पारिस्थितिकी स्थलों का संरक्षण, सम्वर्धन एवं विकास किये जाने हेतु स्थानीय निवासियों को गाइड्स की भूमिका में इस परियोजना से जोड़ा जाना है, जिससे प्रदेश में पारिस्थतिकी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा एवं पर्यटकों की संख्या में प्रभावशाली वृद्धि होगी, साथ ही रोजगार सृजन के नये अवसर पैदा होंगे तथा राजस्व में भी वृद्धि होगी।

(2) इको-टूरिज्म जोन में सार्वजनिक-निजी सहभागिता (पी0पी0पी0) इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जायेगा। जंगल सफारी हेतु वन विभाग की सहायता से गाइडों का प्रशिक्षण एवं उनकी बुकिंग की जायेगी। अवस्थापना एवं आवासीय क्षमता का निर्माण तथा इको-टूरिज्म हेतु गाइडों का प्रशिक्षण, आतिथ्य, खान-पान और ट्रेकिंग किये जाने की व्यवस्था का विस्तार किया जायेगा।

(3) बोर्ड द्वारा पारिस्थितिकी पर्यटन क्षेत्र के विकास हेतु ट्रेकिंग,हाईकिंग साइक्लिंग आदि,कैरावन टूरिज्म, सी-प्लेन, रिवर क्रूज, एडवेंचर टूरिज्म,होटल/रिसोर्ट एवं अवस्थापना सुविधाओं का विकास,बैलूनिंग,जंगल कैम्पिंग तथा वेलनेस टूरिज्म-आयुर्वेद/योग/प्राकृतिक चिकित्सा जैसी गतिविधियों से सम्बन्धित विभिन्न कार्य सम्पादित किये जायेंगे। इस संबंध में इको-टूरिज्म विकास बोर्ड के अधिकार, शक्तियाँ एवं उत्तरदायित्व का उल्लेख संलग्न विनियम के प्रस्तर-6 के अनुसार होगा।

3- इको-पर्यटन विकास बोर्ड का गठन वन विभाग/उ0प्र0 वन निगम के माध्यम से प्रदेश के वन्य अभ्यारण्य बाहर अनुमेय क्षेत्र में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं प्रबन्धन हेतु किया गया है,ताकि बोर्ड मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा बफर जोन (BUFFER ZONE) में निर्माण हेतु पारित आदेशों व नियमों के अधीन कार्य करते हुए पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा व पर्यटकों को उच्च स्तर का सुविधा/अनुभव प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। उक्त संदर्भ में उत्तर प्रदेश में ईको- टूरिज्म के सम्यक विकास के लिये पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के साथ पर्यटन विभाग की सहभागिता को सुनिश्चित करने के दष्टिकोण से दोनों विभागों को संयुक्त रूप से नोडल विभाग नामित किये जाने का निर्णय लिया गया है। तत्क्रम में पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा EXCLUSIVELY वन विभाग के नियंत्रणाधीन आने वाले संरक्षित वन जीव क्षेत्रों एवं अन्य वन क्षेत्रों में ईको टूरिज्म की गतिविधियों का कार्य व संचालन कराया जा सकेगा, जबकि उक्त क्षेत्रों के बाहर प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों में ईको टूरिज्म की गतिविधियों के विकास एवं संचालन का कार्य पर्यटन विभाग द्वारा कराया जायेगा।

4- उत्तर प्रदेश में इको-टूरिज्म के विकास हेतु वन विभाग एवं पर्यटन विभाग में ईको-टूरिज्म मद से बजट प्राप्त होगा।

5- ईको टूरिज्म बोर्ड की संरचना , गतिविधियां, बोर्ड के सदस्य, बोर्ड के अधिकार, शक्तियां एवं उत्तरदायित्व,बोर्ड की बैठक, कार्यकारी समिति , कार्यकारी समिति के अधिकार, शक्तियां एवं उत्तरदायित्व, योजना क्रियान्वयन ऐजेन्सी(माध्यम) , बोर्ड के कोष ऋण प्राप्त करने एवं ऋण देने हेतु बोर्ड के अधिकार, शासन द्वारा ऋण की गारन्टी, लेखा एवं अंकेक्षण, नियम बनाने की शक्ति, विवाद आदि बिन्दु संलग्न विनियम में अंकित व्यवस्था के अनुसार होंगे।

6- ईको-पर्यटन विकास बोर्ड की कोष/ निधि की व्यवस्था का उल्लेख संलग्न विनियम के प्रस्तर-12 के अनुसार किया जायेगा, परन्तु इस संबंध में ईको-टूरिज्म डेवलपमेन्ट बोर्ड के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य सिंचाई विभाग से सम्बन्धित न होने पर उक्त हेतु सिंचाई विभाग को आगामी आय-व्ययक में बजट का प्राविधान कराया जाना संभव नहीं होगा।

7- इको-पर्यटन विकास बोर्ड में पर्यटन विभाग एवं वन विभाग के निम्नलिखित विभागीय दायित्व होंगे:-

पर्यटन विभाग

1- पर्यटन व सांस्कृतिक विरासत मूल्यों का प्रचार-प्रसार करना।
2- आतिथ्य-सत्कार हेतु स्थानीय समुदायों की कौशल क्षमता का निर्माण।
3- पर्यटकों के लिए यात्रा कार्यक्रम तैयार किया जाना।
4- इको-टूरिज्म साइट का प्रचार-प्रसार किया जाना।
5- परियोजनाओं के संचालन हेतु पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के साथ समन्वय करना।
6- कैरावन, रिवर क्रूज,बैलूनिंग और सी प्लेन जैसी एडवेंचर और मनोरंजक गतिविधियों का पी0पी0पी0 मोड के माध्यम से विकास करना।
7- युवा टूरिज्म क्लबों, स्कूलों व कालेजों के विद्यार्थियों हेतु शैक्षिक भ्रमण का आयोजन।

वन विभाग

1- उपयुक्त स्थलों की पहचान और समिति हेतु प्रस्ताव तैयार करना।
2- संरक्षण के सिद्धान्तों के साथ वन क्षेत्र में अनुमेय गतिविधियों का अनुमोदन।

3- इको-पर्यटन स्थलों में बुनियादी ढाँचे के विकास हेतु बजट की उपलब्धता के आधार पर अनुमोदन /आवंटन।
4- पर्यटन विभाग के साथ समन्वय करना।
5- इको-टूरिज्म एम्बेसडर की नियुक्ति करना।

अस्तु अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त निर्णय के क्रम में प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
22/08/22
(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि उ0प्र0 ईको टूरिज्म के बोर्ड के गठन संबंधी विनियम की प्रति सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री , उत्तर प्रदेश।
2- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कृषि विभाग/ वन विभाग/वित्त विभाग/पर्यटन विभाग/सिंचाई विभाग/ग्राम्य विकास विभाग/ आयुष विभाग उ0प्र0 शासन।
3- निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष, उ0प्र0 वन निगम।
4- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री , उ0प्र0 शासन।
6- **अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव** पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग/पर्यटन विभाग/वित्त विभाग/कृषि विभाग/सिंचाई विभाग/ आयुष विभाग/राजस्व विभाग/खेलकूद विभाग/सूक्ष्म , लघु एवं मध्यम विभाग/संस्कृति विभाग/समाज कल्याण विभाग/परिवहन विभाग/लोक निर्माण विभाग/ पंचायतीराज विभाग/उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग/ नगर विकास विभाग/ग्राम्य विकास विभाग/नमामि गंगे विभाग/ जलशक्ति विभाग/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग।
7- प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
8- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 एवं निदेशक, पर्यटन , उ0प्र0 लखनऊ।
9- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 वन निगम।
10- मुख्य वन संरक्षक , पारिस्थितिकीय विकास , लखनऊ।
11- महाप्रबंधक,(उद्योग) उ0प्र0 वन निगम।
12- **द्वारा महानिदेशक, पर्यटन** आई0आर0सी0टी0सी0/सशस्त्र सीमा बल उ0प्र0/वर्ल्ड वाइल्ड फण्ड इण्डिया/बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी/कछुआ कन्सर्वेशन फण्ड/ कतर्नियाघाट फाउन्डेशन।
13- मुख्य वन जीव प्रतिपालक, उ0प्र0।
14- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(अश्विनी कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश इको-टूरिज्म विकास बोर्ड विनियम/नियमावली

1- परिभाषायें:-

(i) "अधिनियम" से तात्पर्य है कि उत्तर प्रदेश सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम- 1860

(ii) "बोर्ड" से तात्पर्य है उत्तर प्रदेश इको-टूरिज्म विकास बोर्ड, जिसका पंजीयन उत्तर प्रदेश सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1860 के अन्तर्गत हुआ है।

(iii) "बोर्ड की संरचना" से तात्पर्य है कि बोर्ड का गठन विनियम/नियमावली के नियम-5 के अन्तर्गत किया गया।

(iv) "कार्यकारी समिति" से तात्पर्य बोर्ड की कार्यकारी समिति से है जिसका गठन विनियम/नियमावली के नियम -8 के अन्तर्गत किया गया है।

(v) "अध्यक्ष" से तात्पर्य ईको टूरिज्म विकास बोर्ड के अध्यक्ष से है।

(vi) "सदस्य" से तात्पर्य ईको टूरिज्म विकास बोर्ड के सदस्य से है ।

(vii) "शासन" से तात्पर्य पर्यटन विभाग/पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उत्तर प्रदेश शासन के अन्य विभागों से है।

2-बोर्ड की गतिविधियाँ :-

क. बोर्ड के कार्य/गतिविधियाँ निम्नानुसार होंगी:-

(i) इको-पर्यटन सम्भावनाओं की पहचान एवं सुविधाओं का विकास।

(ii) इको-पर्यटन परियोजनाओं की तैयारी, प्रवर्तन और संचालन हेतु संबंधित विभागों से रिपोर्ट व अन्य जानकारी प्राप्त करना।

(iii) पारिस्थितिकीय पर्यटन हेतु इको-टूरिज्म जोन का चयन कर उनके विकास हेतु कार्ययोजना तैयार किया जाना।

(iv) संबंधित विभागों से उपयुक्त परियोजनाओं का चयन, अनुमोदन एवं सहायता।

(v) पर्यटकों को पर्यटन सेवायें-सुविधायें प्रदान करने व उनका रख-रखाव/विकास करने के लिए पर्यटकों से लिये जाने वाले शुल्क पर निर्णय।

(vi) ग्रामीण पर्यटन एवं कृषि पर्यटन से सम्बन्धित गतिविधियों को व्यवस्थित और कार्यान्वित करना।

(vii) वन विभाग के साथ ट्रेकिंग एवं आयुष विभाग के वेलनेस सेन्टर हेतु आवश्यक सुविधाओं का विकास करना।

(viii) प्रदेश की पारिस्थितिकीय पर्यटन के अन्तर्गत आने वाले पर्यटन स्थलों/क्षेत्रों का पर्यटन विकास किया जायेगा जिसमें मुख्य रूप से नेचर टूरिज्म,एडवेन्चर टूरिज्म, वॉटर स्पोर्टस, विलेज़ टूरिज्म, एग्रो टूरिज़्म आदि एक्टीविटीज का विकास करना।

(xi) उ0प्र0 राज्य सरकार के सभी नियमों और विनियमों का पालन करते हुए चयनित परियोजना को पारदर्शी तरीके से तैयार करने और लागू करने के लिए एजेन्सी का चयन किया जाना।

(x) इको-टूरिज्म कंसल्टेन्ट का चयन।

(xi) इको-टूरिज्म गंतव्य का चिन्हीकरण एवं सर्वेक्षण।

(xii) इको टूरिज्म के विकास के लिए परियोजनाओं के प्रस्ताव एवं डी0पी0आर0 तैयार करवाना।

(xiii) पर्यटकों के लिए पैकेज टूर की व्यवस्था करना।

(xiv) इको-टूरिज्म क्षेत्र के आस-पास के गांव तथा जनजातीय क्षेत्र का विकास एवं स्थानीय संस्कृति का संरक्षण।

(xv) युवा पर्यटन क्लब का गठन तथा शैक्षणिक यात्रायें कराये जाने की व्यवस्था कराना।

(xvi) पर्यावरण संस्थाओं एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थाओं को बढ़ावा दिया जाना।

(xvii) इको-टूरिज्म सर्किट के डेस्टीनेशन्स की बुकिंग हेतु एक संयुक्त वेबसाइट तैयार कराना।

(xviii) इको-टूरिज्म एम्बेसडर की नियुक्ति का निर्णय पर्यटन एवं वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से लिया जाना।

(xix) ब्लॉगर्स और फोटोग्राफरों को प्रोत्साहित करना।

(xx) स्थानीय गैरसरकारी संगठनों को इको टूरिज्म परियोजना में शामिल कराना।

(xxi) जंगल सफारी हेतु गाइडों का प्रशिक्षण और बुकिंग कराने की व्यवस्था करना।

(xxii) हाउसकीपिंग, आतिथ्य,खान-पान और ट्रेकिंग जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देना।

(xxiii) आधारभूत सुविधाओं का विकास एवं रख-रखाव करना जैसे:- ट्रेकिंग, पगडण्डियों, पड़ाव स्थलों, मचानों एवं शयनगारों आदि।

(xxiv) इको टूरिज्म के सम्यक विकास हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के साथ पर्यटन विभाग की सहभागिता को सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से दोनों विभागों को संयुक्त रूप से नोडल विभाग नामित किया जायेगा। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा केवल वन विभाग के नियंत्रणाधीन आने वाले संरक्षित वन्य जीव क्षेत्रों एवं अन्य वन क्षेत्रों में इको टूरिज्म की गतिविधियों का कार्य एवं संचालन कराया जा सकेगा। जबकि उक्त क्षेत्रों के बाहर प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों में इको टूरिज्म की गतिविधियों के विकास एवं संचालन का कार्य पर्यटन विभाग द्वारा कराया जायेगा।

ख. प्रदेश में विकसित एवं प्रस्तावित इको-टूरिज्म सुविधाओं को अन्तर्राष्ट्रीय मानको के अनुरूप वर्गीकरण करना।

ग. कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के प्रचार-प्रसार एवं विपणन हेतु निम्नलिखित कार्य कराना:-

(i) पर्यटन विभाग, वन विभाग एवं जनसम्पर्क विभाग के समन्वय एवं सहयोग से क्षमताओं का उपयोग करते हुए बोर्ड के कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का प्रचार-प्रसार करना।

(ii) साहित्य एवं आडियो-विजुवल सामग्री आदि का निर्माण एवं उनका प्रदर्शन तथा वितरण करना।

(iii) विद्यार्थियों, आमजनों, समाचार-पत्रों से जुड़े व्यक्तियों एवं अन्य लक्ष्य समूहों के हितार्थ गतिविधियाँ संचालित करना।

(iv) समाचार-पत्रों, इंटरनेट तथा पत्रिकाओं के माध्यम से विज्ञापन प्रसारित करना।

(v) इको-टूरिज्म से संबंधित गतिविधियों पर अध्ययन कार्य करवाना।

(vi) बोर्ड की वेबसाइट (web site) का निर्माण एवं संचालन करना।

(vii) राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रचार-प्रसार कार्यक्रमों में भाग लेना।

(viii) उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्य आवश्यक गतिविधियाँ संचालित करना।

घ. राज्य में इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु योजनाओं का निर्माण करना, क्रियान्वयन, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करना तथा अन्य भागीदारों को तकनीकी सहायता एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।

ड. इको-टूरिज्म से संबंधित संगोष्ठी, कान्फ्रेन्स, मेला तथा प्रदर्शनी आयोजित कराना एवं अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेना।

च. इको-टूरिज्म से संबंधित सुसंगत अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं का सदस्य बन कर उनके कार्यक्रमों में भाग लेना।

छ. ऐसे अन्य सभी कार्य एवं गतिविधियों जो बोर्ड के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो, संचालित करना।

3- बोर्ड की संरचना

बोर्ड का ढाँचा एवं संरचना निम्नानुसार होगी:-

1. इको टूरिज्म विकास बोर्ड
2. इको टूरिज्म कार्यकारी समिति
3. बोर्ड का मुख्यालय लखनऊ में होगा।

4- बोर्ड के सदस्य

(क) बोर्ड के सदस्य दो प्रकार के होंगे शासकीय (पदेन) एवं विशेष आमंत्री

(ख) विशेष आमंत्री एवं गैर शासकीय सदस्यों की नियुक्ति/बर्खास्तगी, त्याग-पत्र की स्वीकृति का अधिकार बोर्ड के अध्यक्ष में निहित होगा।

(ग) सदस्यों द्वारा सदस्यता शुल्क देय नहीं होगा।

(घ) इको टूरिज्म विकास बोर्ड तथा कार्यकारी समिति में विनियम/ नियमावली के क्रमशः नियम -5 व 8 में उल्लिखित सदस्य होंगे।

5-उत्तर प्रदेश इको-टूरिज्म विकास बोर्ड की संरचना निम्नवत् है:-

- अध्यक्ष- मा0 मुख्यमंत्री,उत्तर प्रदेश
- सदस्य- मा0 मंत्री, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश
- सदस्य- मा0 मंत्री, वन विभाग, उत्तर प्रदेश
- सदस्य- मा0 मंत्री, आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश
- सदस्य- मा0 मंत्री, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश
- सदस्य- मा0 मंत्री, पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश
- सदस्य- मा0 मंत्री, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश
- सदस्य- मा0 मंत्री, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश
- सदस्य- मा0 अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वन निगम
- सदस्य- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश
- इको टूरिज्म विकास बोर्ड के सदस्य सचिव-अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव पर्यटन,उत्तर प्रदेश
- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा समन्वयक (co-ordinator) की भूमिका का निर्वहन किया जायेगा।
- सदस्य- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- विशेष आमंत्री- आई0आर0सी0टी0सी0 के प्रतिनिधि
  - सशस्त्र सीमा बल, उ0प्र0 के प्रतिनिधि
  - वर्ल्ड वाइल्ड फण्ड, इण्डिया के प्रतिनिधि
  - बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के प्रतिनिधि
  - कछुआ कंजर्वेशन फण्ड के प्रतिनिधि

- कतर्नियाघाट फाउंडेशन के प्रतिनिधि
- 05 नामित पर्यावरण एवं पर्यटन विशेषज्ञ
- पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले 02 अन्य ख्याति प्राप्त संस्थाओं का चयन प्रत्येक 02 वर्ष के लिए किया जायेगा।

6-विकास बोर्ड के अधिकार, शक्तियाँ एवं उत्तरदायित्व

1. इको टूरिज्म विकास बोर्ड के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नीति निर्धारण।
2. इको टूरिज्म विकास बोर्ड के वार्षिक बजट एवं वार्षिक प्रतिवेदन का अनुमोदन।
3. इको टूरिज्म विकास बोर्ड के वार्षिक अंकेक्षण प्रतिवेदन की स्वीकृति।
4. कार्यकारी समिति के कार्यों का पर्यवेक्षण।
5. इको टूरिज्म विकास बोर्ड के विनियमों/उप नियमों में संशोधन प्रस्तावों का अनुमोदन करना।
6. इको टूरिज्म विकास बोर्ड के आकस्मिक निधि से अप्रत्याशित व्यय की अनुमति एवं इस निधि के रख-रखाव के संबंध में नियमों का अनुमोदन।
7. इको टूरिज्म विकास बोर्ड के सेटअप का अनुमोदन।
8. निदेशक (प्रशासन) उ0प्र0, कार्यकारी समिति के निदेशक होंगे एवं शासन द्वारा प्रतिनियुक्ति पर या अनुबन्ध के आधार पर नियुक्त सभी अधिकारी और कर्मचारी इनके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होंगे जिस पर बोर्ड द्वारा अनुमति/ अनुमोदन प्रदान किया जायेगा।

7-बोर्ड की बैठक

1. इको टूरिज्म विकास बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा की जायेगी।
2. कार्यकारी समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति की बैठक होगी।
3. इको टूरिज्म विकास बोर्ड की बैठक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में त्रैमासिक आधार पर चार बार अनिवार्य होगी।
4. इको टूरिज्म विकास बोर्ड की बैठक हेतु तिथि, समय और स्थान अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
5. सदस्यों को बैठक की सूचना एक सप्ताह पूर्व एजेण्डा सहित दी जायेगी।
6. अध्यक्ष की अनुमति से कभी भी बैठक बुलाई जा सकती है।
7. इको टूरिज्म विकास बोर्ड और कार्यकारी समिति की बैठकों के लिए कोरम में 50 प्रतिशत से अधिक सदस्यों की प्रतिभागिता अपेक्षित होगी, निश्चित समय तक कोरम पूर्ण न होने पर अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समय समाप्ति तक प्रतीक्षा के उपरान्त उपस्थित सदस्यों से कोरम पूर्ण माना जायेगा।
8. इको टूरिज्म विकास बोर्ड और कार्यकारी समिति में अन्य 03 सदस्यों को नामित कर सकता है, जो सलाहकार के रूप में कार्य करेगा।
9. बैठक में सम्बन्धित एजेण्डा विन्दु पर एक मत न होने पर समाधान उपस्थित सदस्यों में से बहुमत के आधार पर होगा।
10. इको टूरिज्म विकास बोर्ड की बैठक के लिए एक पंजी रहेगी जिसमें बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे एवं प्रत्येक बैठक के उपरान्त अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त कर कार्यवाही का विवरण सदस्य सचिव के हस्ताक्षर से जारी किया जायेगा।

8-कार्यकारी समिति

(क) कार्यकारी समिति निम्नानुसार होंगे:-

- अध्यक्ष - मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश
- सदस्य सचिव (पदेन) - अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 (वन्य जीव संरक्षित क्षेत्रों एवं वन क्षेत्रों के लिये)
- सदस्य (पदेन) - अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वन विभाग,उ0प्र0
- सदस्य (पदेन) - अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग,उ0प्र0
- सदस्य (पदेन) - अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि विभाग,उ0प्र0
- सदस्य (पदेन) - अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई विभाग,उ0प्र0
- सदस्य (पदेन) - अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आयुष विभाग,उ0प्र0
- सदस्य (पदेन) - अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व विभाग,उ0प्र0
- सदस्य (पदेन) - अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, खेलकूद विभाग,उ0प्र0
- सदस्य (पदेन) - अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विभाग,उ0प्र0
- सदस्य (पदेन) - अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,ग्राम्य विकास विभाग,उ0प्र0
- सदस्य (पदेन) - अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,संस्कृति विभाग,उ0प्र0
- सदस्य (पदेन) - अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,समाज कल्याण विभाग,उ0प्र0
- सदस्य (पदेन) - अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,परिवहन विभाग,उ0प्र0
- सदस्य (पदेन) - अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,लोक निर्माण विभाग,उ0प्र0
- सदस्य (पदेन) - अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,पंचायती राज विभाग,उ0प्र0
- सदस्य (पदेन) - अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,उ0प्र0
- सदस्य (पदेन) - प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वन निगम।
- सदस्य सचिव - महानिदेशक,पर्यटन, उत्तर प्रदेश (वन क्षेत्र से बाहर प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों/शेष क्षेत्रों के लिये)
- निदेशक(प्रशासन) - सचिव स्तर के प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अथवा महानिदेशक,पर्यटन-सदस्य सचिव
- निदेशक (इकोलॉजी) - सचिव स्तर का आई0एफ0एस0 अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक/ विभागाध्यक्ष, उ0प्र0
- निदेशक (जैव विविधता) - मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक अथवा सचिव स्तर के भारतीय वन सेवा के अधिकारी
- अपर निदेशक - प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0
- अपर निदेशक - विशेष सचिव स्तर के एक अधिकारी शासन द्वारा नियुक्त

- अपर निदेशक - मुख्य वन संरक्षक,पारिस्थितिकीय विकास, लखनऊ
- अपर निदेशक - महाप्रबंधक (उद्योग),उ0प्र0 वन निगम।

9-कार्यकारी समिति के अधिकार, शक्तियाँ एवं उत्तरदायित्व

इको टूरिज्म विकास बोर्ड के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अपेक्षित कार्यवाही का दायित्व कार्यकारी समिति का होगा। इस दायित्व के निर्वहन हेतु कार्यकारी समिति निम्न कार्य करेगी:-

1. योजनाओं और परियोजनाओं को विभिन्न विभागों के साथ समन्वय करते हुए तैयार व अनुपालन करवाना।
2. विभिन्न विभागों एवं कार्यान्वयन एजेन्सी की परियोजनाओं की जांच कर सुनिश्चित करना कि वे योजनाएं उद्देश्य के अनुरूप हैं।
3. इको टूरिज्म विकास बोर्ड को योजना में आवश्यक संशोधन किये जाने हेतु सुझाव/ संस्तुति उपलब्ध कराना।
4. इको-टूरिज्म स्थलों पर विभिन्न परियोजनाओं का समन्वय और अनुपालन किया जाना।
5. इको टूरिज्म विकास बोर्ड की वार्षिक कार्य योजना तथा इको टूरिज्म से सम्बन्धित योजनाओं का परीक्षण एवं संस्तुति।
6. अंकेक्षण प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन एवं अन्य सुसंगत प्रस्तावों पर इको टूरिज्म विकास बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व विचार करना।
7. इको टूरिज्म विकास बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक बजट, लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट और अन्य प्रासंगिक प्रस्तावों पर विचार और संस्तुति।
8. नियम/उप नियमों पर विचार-विमर्श कर विकास बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ संस्तुति करना।
9. इको टूरिज्म विकास बोर्ड द्वारा निर्धारित किसी भी विषय से सम्बन्धित अन्य कार्य।
10. इको टूरिज्म विकास बोर्ड के लेखा के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति।
11. इको टूरिज्म विकास बोर्ड के निर्णयों पर विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में अपेक्षित कार्यवाही करना।

10- कार्यकारी समिति के निदेशक (प्रशासन)/सदस्य सचिवः-

उ0प्र0 इको-टूरिज्म विकास बोर्ड के निदेशक होंगे एवं शासन द्वारा प्रतिनियुक्ति पर या अनुबन्ध के आधार पर नियुक्त सभी अधिकारी और कर्मचारी निदेशक के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होंगे। निदेशक के निम्नलिखित दायित्व होंगे:-

1- निदेशक पर बोर्ड की दिन प्रतिदिन की प्रशासनिक और प्रबन्धन गतिविधियों के संचालन का दायित्व होगा।

2- बोर्ड की ओर से जारी सभी आदेश, समझौते, नोटिस और निर्देश निदेशक के हस्ताक्षर के तहत जारी किये जायेंगे।

3- निदेशक, बैठकों और अन्य अभिलेखों की कार्यवाही का रख-रखाव करायेंगे।

4- निदेशक बोर्ड की ओर से कोई भी कार्य/फण्ड प्राप्त करेगा, किसी भी भूमि, भवन या अन्य चल या अचल सम्पत्तियों को खरीद विनिमय, पट्टे या किसी अन्य माध्यम से तद्सम्बन्धी सभी अधिकारों के साथ प्राप्त करेगा।

5- निदेशक, बोर्ड की निधियों का प्रबन्धन करेगा, विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियों को लागू करेगा, बोर्ड की अनुमोदित योजनाओं और बजट के अनुसार कार्यकारी निकायों को सभी भुगतानों को मंजूरी प्रदान व वितरण करेगा।

6- निदेशक, बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट, कार्यक्रम, वित्तीय विवरण, वित्तीय अनुमान, बजट और स्थापना रिपोर्ट तैयार करेगा।

7- निदेशक बोर्ड द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं और बोर्ड के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक धन अर्जित करेगा।

8- निदेशक, बोर्ड/कार्यसमिति द्वारा सौंपे गये या पारिस्थितिकीय पर्यटन से संबंधित किसी भी अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा।

11- योजना क्रियान्वयन एजेन्सी (माध्यम)

कार्यकारी समिति के द्वारा अनुमोदित शर्तों एवं विषयों के अनुरूप बोर्ड की गतिविधियों का क्रियान्वयन सामान्यतः पर्यटन विभाग एवं वन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से किया जायेगा किन्तु आवश्यकता पड़ने पर यह कार्य अन्य विभागों तथा केन्द्र व उ0प्र0 शासन के अन्य उपक्रमों तथा समितियों आदि के माध्यम से किया जा सकेगा।

12- बोर्ड का कोष

इको-पर्यटन विकास बोर्ड की निधि निम्नलिखित माध्यम से प्राप्त होगी:-

1-पर्यटन विभाग तथा वन विभाग में इको-टूरिज्म मद से बजट प्राप्त होगा। इको पर्यटन स्थल के बुनयादी ढांचे के विकास हेतु बजट उपलब्धता के आधार पर अनुमोदन/आवंटन किया जायेगा।

2-खेल विभाग, सिंचाई विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, कृषि विभाग, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग अपने-अपने स्तर से इको-टूरिज्म मद में बजट की व्यवस्था करेंगे।

3-वन विभाग, मनरेगा, नमामि गंगे, घाट पर हाट (अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय), नगर विकास विभाग, जल शक्ति विभाग, संस्कृति विभाग आदि से प्राप्त अनुदान।

4-स्वयंसेवी संस्थाओं, पर्यावरण संरक्षण में लगे संगठन सी0एस0आर0 व अन्य स्रोतो से प्राप्त अनुदान।

5-किसी व्यक्ति या संस्था से दान या सहायता के रूप में प्राप्त राशि।

6-बोर्ड द्वारा प्रदान की गई सेवाओं से प्राप्त राशि।

(क) बोर्ड द्वारा निम्न प्रकार की निधियाँ निर्धारित की जायेंगी:-

1-सामान्य निधि- यह निधि किसी योजना से सम्बद्ध नहीं होगी एवं मुख्यतः बोर्ड के प्रशासनिक व्यय के लिए उपयोग की जायेगी। उपलब्धता के आधार पर इस निधि में से राशि परियोजना निधि में स्थानांतरित की जा सकेगी। इस निधि के कुछ स्रोत निम्नवत् होगे:-

(क) वन विभाग के संरक्षित क्षेत्रों की विकास निधि में से एक निर्धारित राशि।

(ख) ग्राम्य विकास विभाग निधि से एक निर्धारित धनराशि।

(ग) अन्य विभागों जैसे-खेल विभाग, कृषि विभाग तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग से योगदान।

(घ) केन्द्र सरकार या उनके उपक्रमों अथवा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त अनुदान।

(ड़) विभिन्न परियोजनाओं के लिए अन्य स्रोतों से प्राप्त राशि में बचत ।

(च) बोर्ड द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं से प्राप्त राशि।

2- **परियोजना निधि-** यह राशि विशेष इको-टूरिज्म योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए बोर्ड अपने स्रोतों से अथवा विभिन्न संस्थाओं/स्रोतों से प्राप्त की जायेगी।

3- ऋण निधि की स्थापना एवं रख-रखाव-

जब भी ऋण निधि से ऋण का भुगतान होना हो, बोर्ड ऐसे कोष की स्थापना करेगा एवं इसमें ऋण का पूर्ण भुगतान होने तक प्रतिवर्ष कितनी राशि जमा करनी होगी कि प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के साथ यह राशि, समस्त अन्य व्यय को शामिल करते हुए उस ऋण को चुकाने के लिए पर्याप्त हो।

4- बोर्ड की आकस्मिक निधि-

(क) बोर्ड द्वारा एक ऐसी निधि की स्थापना की जायेगी जिसे बोर्ड की आकस्मिक निधि कहेंगे जिसमें बोर्ड के कोष से राशि का भुगतान किया जायेगा।

(ख) यह निधि बोर्ड के नाम से सचिव द्वारा रखी जायेगी एवं इसमें से किसी भी प्रकार का अग्रिम नहीं दिया जायेगा। इस निधि में से केवल अप्रत्याशित व्यय का भुगतान बोर्ड की अनुमति की प्रत्याशा में किया जा सकेगा।

(ग) इस भाग के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बोर्ड ऐसे नियम बनायेगा जो कि इस निधि से धनराशि के आहरण एवं रख-रखाव से संबंधित होंगे।

5- बैंक खाता-

शासन से इस संबंध में जारी दिशा निर्देशों को छोड़कर बोर्ड की धनराशि जिनका नियमों में उल्लेख है, निम्न बैंको में जमा होगी:-

1. राष्ट्रीकृत बैंक
2. किसी अनुसूचित बैंक या
3. स्टेट बैंक आफ इण्डिया की पूरक अथवा सहायक बैंक
4. ऐसे नकद पत्रों एवं प्रतिभूतियों में जो शासन से अनुमोदित हों।

13- ऋण प्राप्त करने एवं ऋण देने हेतु बोर्ड के अधिकार-

इको टूरिज्म विकास बोर्ड की अनुमति से बोर्ड के पास उपलब्ध धनराशि को ऋण के रूप में प्रदेश के किसी निगम को दे सकता है तथा शासन की पूर्व स्वीकृति से किसी भी कार्य के लिए जन साधारण से या शासन अथवा केन्द्र द्वारा नियंत्रित वित्तीय संस्थाओं अथवा निगमों से ऋण प्राप्त कर सकता है।

14- शासन द्वारा ऋण की गारन्टी-

यदि इको टूरिज्म विकास बोर्ड उचित समझे, तो शासन की नीति के अनुरूप एवं निर्धारित शर्तो पर ऋण के भुगतान की गारन्टी शासन से प्राप्त करने हेतु अनुरोध कर सकता है।

15- लेखा एवं अंकेक्षण-

क. निदेशक (प्रशासन)/सदस्य सचिव द्वारा निर्धारित समस्त बहीखाता एवं नियमानुसार प्रावधानित सभी अन्य आवश्यक रजिस्टर तैयार करना सुनिश्चित करेगा एवं वह नियमानुसार वार्षिक लेखा पत्रक भी तैयार करायेगा।

ख. निदेशक (प्रशासन)/सदस्य सचिव को बोर्ड द्वारा नियुक्त व्यक्ति/संस्था से वार्षिक अंकेक्षण कार्य कराना होगा।

ग. बोर्ड के लेखों का अंकेक्षण कार्य समाप्त होने पर यथाशीघ्र निदेशक (प्रशासन)/ सदस्य सचिव लेखा पत्रक एवं अंकेक्षण रिपोर्ट कार्यकारी समिति के अनुमोदनोपरान्त इको टूरिज्म विकास बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।

घ. अंकेक्षण रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद विकास बोर्ड एवं कार्यकारी समिति द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशों का निदेशक (प्रशासन)/सदस्य सचिव को पालन कराना होगा।

ङ. अंकेक्षित लेखा अधिनियम में की गयी व्यवस्था के अन्तर्गत पंजीयक, सोसाइटीज को भेजा जायेगा।

च. रिपोर्ट निर्धारित समय के अन्तराल पर बोर्ड द्वारा प्रतिवेदन शासन को भेजना होगा।

16- नियम बनाने की शक्ति-

क. इको टूरिज्म विकास बोर्ड ऐसे नियम बना सकेगा तथा संशोधित कर सकेगा, जो इस नियम तथा इनके प्राविधानों को क्रियान्वित करने के लिए बनाये गये नियमों से परस्पर विरोधी न हों। प्रस्तावित नियम/संशोधन दो तिहाई मतों से इको टूरिज्म विकास बोर्ड से पारित कराना होगा।

ख. विशेषकर, उपरोक्त शक्तियों की व्यापकता को अतिक्रमित किये बिना यह नियमानुसार प्राविधान कर सकेंगे:-

1. नियम द्वारा स्पष्टतः वाँछित या अनुज्ञेय समस्त कार्य।
2. समिति द्वारा बैठकों हेतु प्रक्रिया निर्धारण।
3. निर्माण किये गये निवासों, सम्पत्तियों के प्रबन्धन, उपयोग एवं इनके नियमांकन संबंधी कार्य।
4. इको टूरिज्म विकास बोर्ड के कार्यों का सुसंचालन।

17- विवाद-

क. इको टूरिज्म विकास बोर्ड से संबंधित सभी विधिक मामलों का निपटारा लखनऊ के न्यायालयों में होगा।

ख. इको टूरिज्म विकास बोर्ड के निर्णयों/मुद्दों से संबंधित उत्पन्न विवादों के सापेक्ष अग्रतर कार्यवाही के लिए बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा।